VC आदेश

अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

संख्या:18/ए-1(124)-2013 दिनांक: अक्टूबर 24-11-,2015

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय: पुलिस विभाग में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश ।

.....

अवगत कराना है कि विभिन्न शासनादेशों द्वारा वर्ष 2015 में सरकार द्वारा कतिपय नियमावलियां प्रख्यापित की गई हैं जिनमें यह अंकित किया गया है कि पुलिस विभाग के मृत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो किसी पद पर मृतक आश्रित के रूप में प्रार्थना-पत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जाएगी। इसी क्रम में शासन के पत्र दिनांक: 18.09.2015 द्वारा पुलिस विभाग में मृतक आश्रित भर्ती के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किए गये हैं। अत: पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या:18/ए-1(124)-2013, दिनांक: 22.05.2014 को अतिक्रमित करते हुये अब मृतक आश्रितों के पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर सेवायोजन की कार्यवाही इस पत्र में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी । इस सम्बन्ध में विशेष अपील संख्या1069/2014 उ0प्र0 शासन व अन्य बनाम राजसूर्य प्रताप सिंह तथा विशेष अपील संख्या:356/2012, शिव कुमार दुबे बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या 18/ए-मृ0आ0सेवा0(निर्देश)-2014 दिनांक 24-09-2015 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

शासनादेश संख्या:2030/6-पु0-1-15-213/2015,दिनांक:18.09.2015 में उ0प्र0 पुलिस विभाग के मृतक आश्रितों के सेवायोजन के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए हैं :-

(1) पुलिस विभाग के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के रूप में सेवायोजन केवल उन्हीं पदों पर किया जायेगा जिनके सम्बन्ध में पुलिस विभाग की सम्बन्धित नियमावली में इसका प्राविधान होगा।

(2) मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के रूप में किसी भी पद पर सेवायोजन हेतु किसी अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता, शारीरिक दक्षता के मानक, अन्य योग्यताएं व अर्हताएं वही होंगी जो सम्बन्धित नियमावली के अनुसार उस पद पर सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी के लिये आवश्यक होगी किन्तु इस सम्बन्ध में शासनादेश

संख्या:1203/6-पु- 10-2000-1200(8)/98, दिनांक: 01 मई, 2000 के अन्तर्गत शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम् लम्बाई में प्रदान की गयी 02 सेण्टीमीटर की छूट पूर्व की भाँति लागू रहेगी।

(3) यदि मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती हेतु किसी पद पर आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, उस पद के लिये मृतक आश्रित श्रेणी के निर्धारित पदों से अधिक हो, तो अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में बैठने की अपेक्षा की जायेगी एवं इस पद के लिये अंतिम चयन सूची उस पद के लिये मृतक आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती हेतु निर्धारित पदों की संख्या के अनुसार, इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, श्रेष्ठताक्रम के अनुसार बनाई जायेगी।

(4) किसी भी अभ्यर्थी का मृत पुलिस कर्मी के आश्रित के रूप में किसी पद पर सेवायोजन किये जाने से पूर्व उस पद हेतु यथावश्यक शारीरिक दक्षता परीक्षा, अन्य योग्यताओं की परीक्षा एवं आवश्यकतानुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन, भर्ती बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

(5) किसी भी पद पर मृत पुलिस कर्मी के आश्रित के रूप में भर्ती हेतु किसी भी अभ्यर्थी को नियमानुसार एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा, अगर वह इस हेतु प्रदान किये गये अवसर में किसी भी कारण से, उस पद के लिये निर्धारित प्रक्रियानुसार सेवायोजन पाने में असफल रहता है तो उसे अन्य किसी निम्न पद पर सेवायोजन हेतु ऑफर प्रदान किया जायेगा और यदि वह 03 माह के अन्दर किसी निम्न पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन नहीं करता है तो यह समझा जायेगा कि वह पुलिस विभाग में मृतक आश्रित के रूप में किसी भी पद पर सेवायोजन पाने का इच्छुक नही है।

(6) उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त, शासन द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी किये गये शेष सभी निर्देश, पूर्व की भाँति लागू रहेंगे।

(7) मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवयोजन के संबंध में उपरोक्त के अन्तर्गत विस्तृत आदेश, जिसमें इस हेतु कराई जाने वाली परिक्षाएं भी शामिल होंगी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे ।

उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-7 के क्रम में पुलिस विभाग के मृत कर्मचारियों के आश्रितों के सेवयोजन हेतु निम्न विस्तृत आदेश निर्गत किए जा रहे है :-

1- पुलिस विभाग के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवायोजन की प्रक्रिया

179 ~~165~~ 159

(1) उप निरीक्षक नागरिक पुलिस

(i) सामान्य प्रक्रिया

पुलिस विभाग के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित जो नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन देते हैं उनके सेवायोजन के संबंध में कार्यवाही संबंधित जनपद अथवा इकाई, जहां पर पुलिस कर्मी मृत्यु से पहले नियुक्त था, द्वारा प्रारम्भ की जाएगी । मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक के पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हताएं, शारीरिक मापदण्ड एवं अन्य अर्हताएं व योग्यताएं वहीं होगी जो तत्समय प्रचलित नियमावली के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी की हों किन्तु शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम लम्बाई में शासनादेश के अन्तर्गत 2 से0मी0 की छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी । संबंधित जनपद अथवा इकाई द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए 37 बिन्दुओं की चैकलिस्ट के अनुसार सेवायोजन प्रारम्भ कराए जाने की कार्यवाही अपने स्तर से सम्पूर्ण करायी जाएगी । चैकलिस्ट के अनुसार अगर अभ्यर्थी मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक के पद पर सेवोयाजन हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो उसका प्रकरण संबंधित अभिलेखों के साथ सम्पूर्ण सुचनाओं सहित पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाएगा जहां पर समस्त प्रकरण सभी जनपदों/इकाईयों के संकलित किए जाएंगे एवं इसकी संकलित सूची तैयार की जाएगी । पुलिस मुख्यालय द्वारा उस वर्ष मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर की जाने वाली भर्ती की संख्या नियमानुसार निर्धारित की जाएगी एवं इस प्रकार मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक के पद पर भरे जाने वाले पदों की संख्या एवं उपरोक्त तैयार की गयी सूची आवश्यक अभिलेखों के साथ पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त भर्ती की कार्यवाही हेतु भर्ती बोर्ड को प्रेषित की जाएगी ।

(ii) दक्षता मूल्यांकन परीक्षा

शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन

भर्ती बोर्ड, उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की, तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवानियमावली में उल्लिखित उपनिरीक्षक पद पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया एवं मानकों के अनुरूप, शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करायेगा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा । अगर उपरोक्त दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक के पद पर भर्ती की जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के कम या बराबर होगी तो इन सभी अभ्यर्थियों को चयनित

करते हुए अन्तिम चयन सूची बनाई जाएगी । चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को भेजी जाएगी जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे।

(iii) लिखित परीक्षा

अगर दक्षता मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में इस पद पर भर्ती किए जाने वाले पदों की संख्या से अधिक है तो भर्ती बोर्ड द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों की एक लिखित परीक्षा करायी जाएगी । यह परीक्षा वस्तुनिष्ट प्रकार की होगी एवं इस परीक्षा में कोई अर्हकारी अंक नहीं होंगे एवं इस परीक्षा को केवल अभ्यर्थियों का श्रेष्ठता क्रम निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाएगा जिसके आधार पर उनका अन्तिम रूप से चयन किया जा सके । यह परीक्षा 400 अंको की होगी जिसमें सामान्य हिन्दी/सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता/तार्किक परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा विषयों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे । इस परीक्षा को कराये जाने की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी । इस परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के श्रेष्ठता क्रम के अनुसार एक सूची (Merit List) बनायी जाएगी । यदि इस श्रेष्ठता सूची में दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो उस दशा में उनकी वरीयता निर्धारित करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :-

(1) अगर अभ्यर्थी के पास इस पद की सेवा नियमावली के अन्तर्गत कोई अधिमानी अर्हता हो तो नियमावली में अधिमानी अर्हता के दिये गये क्रम के अनुसार।

(2) अगर उसके बाद भी श्रेष्ठता समान हो तो अधिक आयु के अनुसार ।

(3) अगर उसके बाद भी श्रेष्ठता समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के क्रम के अनुसार ।

(iv) चयन सूची

बोर्ड द्वारा इस पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती की जाने वाले पदों की रिक्तियों के सापेक्ष, इस श्रेष्ठता सूची में से श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार, अन्तिम चयन सूची बनाई जाएगी । चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की मृतक आश्रित भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित की जाएगी जो इनकी नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे । बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई यह सूची रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी ।

178 (12) (141) 156 (158)

(2) प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0

पी0एसी0 के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित जो नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में प्लाटून कमाण्डर के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन देते है उनके सेवायोजन के संबंध में कार्यवाही संबंधित पी0ए0सी0 बटालियन के द्वारा, जहां पर पुलिस कर्मी मृत्यु से पहले नियुक्त था, प्रारम्भ की जाएगी । मृतक आश्रित के रूप में प्लाटून कमाण्डर के पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हताएं, शारीरिक मापदण्ड एवं अन्य अर्हताएं व योग्यताएं वहीं होगी जो तत्समय प्रचलित नियमावली के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी की हों किन्तु शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम लम्बाई में शासनादेश के अन्तर्गत 2 से0मी0 की छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी । संबंधित पी0ए0सी0 वाहिनी द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए 37 बिन्दुओं की चैकलिस्ट के अनुसार सेवायोजन प्रारम्भ कराए जाने की कार्यवाही पर्णू कराकर समस्त अभिलेख पी0ए0सी0 मुख्यालय को प्रेषित किए जाएंगे । पी0ए0सी0 मुख्यालय द्वारा उस वर्ष मृतक आश्रित के रूप में प्लाटून कमाण्डर के पदों पर की जाने वाली भर्ती की संख्या नियमानुसार निर्धारित की जाएगी एवं इस प्रकार मृतक आश्रित के रूप में प्लाटून कमाण्डर के पद पर भरे जाने वाले पदों की संख्या एवं उपरोक्त तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची आवश्यक अभिलेखों के साथ पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त भर्ती की कार्यवाही हेतु भर्ती बोर्ड को प्रेषित की जाएगी ।

भर्ती बोर्ड उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की, मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु उपरोक्त प्रस्तर-1(1) में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार दक्षता मूल्यांकन परीक्षा एवं आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा कराकर मृतक आश्रित भर्ती के प्लाटून कमाण्डर के पदों की रिक्तियों के सापेक्ष अन्तिम चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उ0प्र को उपलब्ध कराएगा जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही हेतु पी0ए0सी0 मुख्यालय को प्रेषित करेंगे । दक्षता मूल्यांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली में दिए शारीरिक दक्षता के मानकों के अनुरूप कराई जाएगी । चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा । बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई यह सूची रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी । पी0ए0सी0 मुख्यालय संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को नियुक्ति की कार्यवाही हेतु इसे प्रेषित करेगा।

(3) फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर

फायर सर्विस के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित जो नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन देते है उनके

सेवायोजन के संबंध में कार्यवाही संबंधित जनपद अथवा फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा, जहां पर पुलिस कर्मी मृत्यु से पहले नियुक्त था, प्रारम्भ की जाएगी । मृतक आश्रित के रूप में फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हताएं, शारीरिक मापदण्ड एवं अन्य अर्हताएं व योग्यताएं वही होगी जो तत्समय प्रचलित नियमावली के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी की हों किन्तु शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम लम्बाई में शासनादेश के अन्तर्गत 2 से0मी0 की छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी । संबंधित जनपद द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए 37 बिन्दुओं की चैकलिस्ट के अनुसार सेवायोजन प्रारम्भ कराए जाने की कार्यवाही पर्ण करा कर समस्त अभिलेख फायर सर्विस मुख्यालय को प्रेषित किए जाएंगे । फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा उस वर्ष मृतक आश्रित के रूप में फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पदों पर की जाने वाली भर्ती की संख्या नियमानुसार निर्धारित की जाएगी एवं इस प्रकार मृतक आश्रित के रूप में फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पद पर भरे जाने वाले पदों की संख्या एवं उपरोक्त तैयार की गयी सूची आवश्यक अभिलेखों के साथ पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त भर्ती की कार्यवाही हेतु भर्ती बोर्ड को प्रेषित की जाएगी ।

भर्ती बोर्ड उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की, मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु उपरोक्त प्रस्तर-1(1) में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार दक्षता मूल्यांकन परीक्षा एवं आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा कराकर मृतक आश्रित भर्ती के फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पदों की रिक्तियों के सापेक्ष अन्तिम चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उ0प्र को उपलब्ध कराएगा जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही हेतु फायर सर्विस मुख्यालय को प्रेषित करेंगे । दक्षता मूल्यांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली में दिए शारीरिक दक्षता के मानकों के अनुरूप कराई जाएगी । चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा । बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई यह सूची रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी । फायर सर्विस मुख्यालय संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को नियुक्ति की कार्यवाही हेतु इसे प्रेषित करेगा।

2- पुलिस विभाग के पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवायोजन की प्रकिया

(1) उप निरीक्षक (गोपनीय)

177 ~~11~~ (157) ~~159~~ ~~140~~

(i) सामान्य प्रक्रिया

पुलिस विभाग के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित जो नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन देते हैं उनके सेवायोजन के संबंध में कार्यवाही संबंधित जनपद, प०ए०सी० अथवा इकाई, जहां पर पुलिस कर्मी मृत्यु से पहले नियुक्त था, द्वारा प्रारम्भ की जाएगी । मृतक आश्रित के रूप में उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, शारीरिक मापदण्ड, टंकण एवं आशुलिपि दक्षता एवं अन्य अर्हताएं एवं योग्यताएं वहीं होंगी जो तत्समय प्रचलित नियमावली के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी की हों किन्तु शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम लम्बाई में शासनादेश के अन्तर्गत 2 से०मी० की छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी । संबंधित द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए 37 बिन्दुओं की चैकलिस्ट के अनुसार सेवायोजन प्रारम्भ कराए जाने की कार्यवाही अपने स्तर से सम्पर्णू करायी जाएगी । चैकलिस्ट के अनुसार अगर अभ्यर्थी मृतक आश्रित के रूप में उपरोक्त पदों पर सेवोयाजन हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो उसका प्रकरण संबंधित अभिलेखों के साथ सम्पूर्ण सुचनाओं सहित पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाएगा । पुलिस मुख्यालय द्वारा उस वर्ष मृतक आश्रित के रूप में पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पदों पर की जाने वाली भर्ती की संख्या नियमानुसार निर्धारित की जाएगी एवं उपरोक्तानुसार तैयार की गयी अभ्यर्थियों की संकलित सूची आवश्यक अभिलेखों सहित पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त भर्ती बोर्ड को प्रेषित की जाएगी ।

(ii) दक्षता मूल्यांकन परीक्षा

उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों से उनकी दक्षता मूल्यांकन हेतु कम्प्यूटर टंकण व आशुलिपिक परीक्षा में बैठने की अपेक्षा की जाएगी ।

(क) कम्प्यूटर टंकण परीक्षा

कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सफल होने के मानक वहीं होंगे जो उपरोक्त पद के लिए तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली में विद्यमान होंगे । टंकण परीक्षा कराए जाने की प्रक्रिया भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(ख) आशुलिपिक परीक्षा

सभी अभ्यर्थी जो कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सफल रहते हैं उनसे आशुलिपि परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी । आशुलिपि परीक्षा में अर्हता के

मानक वही होंगे जो तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली में विद्यमान होंगे । आशुलिपि परीक्षा कराए जाने की प्रक्रिया भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

अगर उपरोक्त दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक (गोपनीय) के पद पर भर्ती की जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के कम या बराबर होगी तो इन सभी अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए अन्तिम चयन सूची बनाई जाएगी । चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को भेजी जाएगी जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे ।

(iii) <u>लिखित परीक्षा</u>

अगर दक्षता मूल्यांकन में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर भर्ती किए जाने वाले पदों से अधिक हो तो भर्ती बोर्ड द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों की एक लिखित परीक्षा करायी जाएगी । लिखित परीक्षा कराए जाने की प्रक्रिया इस परिपत्र के प्रस्तर-1(1) में, मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु दी गयी प्रक्रिया में कराई जाने वाली लिखित परीक्षा के अनुसार होगी । उसी उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड द्वारा मृतक आश्रित भर्ती के <u>उपनिरीक्षक (गोपनीय) के पदों</u> की रिक्तियों के सापेक्ष अन्तिम चयन सूची बनाई जाएगी जिसे पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित किया जाएगा जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे । चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई यह सूची रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी ।

(2) सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं सहायक उपनिरीक्षक (लेखा)

इन दोनों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया उपरोक्त दी गयी उप निरीक्षक (गोपनीय) की प्रक्रिया के समान होगी किन्तु इसमें दक्षता मूल्यांकन हेतु सभी अभ्यर्थियों की केवल कम्प्यूटर टंकण परीक्षा करायी जाएगी, कोई आशुलिपिक परीक्षा नहीं करायी जाएगी । कम्प्यूटर टंकण की दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की आवश्यकतानुसार लिखित परीक्षा भी उसी प्रक्रिया के अनुसार करायी जाएगी एवं भर्ती बोर्ड द्वारा दोनों पदों की रिक्तियों के सापेक्ष अन्तिम चयन सूची अलग-अलग पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाएगी जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा संबंधित पद की भर्ती हेतु

176 (70) ~~139~~ ~~156~~

असफल घोषित किया जाएगा । बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई यह सूचीयां रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होंगी ।

3- पुलिस रेडियो विभाग के प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक), कर्मशाला कर्मचारी एवं सहायक परिचालक के पदों पर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवायोजन की प्रकिया

(1) प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक)

(i) सामान्य प्रकिया

पुलिस रेडियो विभाग के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित जो नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन देते हैं उनके सेवायोजन के संबंध में कार्यवाही रेडियो मुख्यालय द्वारा प्रारम्भ की जाएगी । मृतक आश्रित के रूप में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हताएं, शारीरिक मापदण्ड एवं अन्य अर्हताएं व योग्यताएं वहीं होगी जो तत्समय प्रचलित इन पदों की सेवा नियमावली के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी की हों किन्तु शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम लम्बाई में शासनादेश के अन्तर्गत 2 से0मी0 की छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी । रेडियो मुख्यालय द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए 37 बिन्दुओं की चैकलिस्ट के अनुसार सेवायोजन प्रारम्भ कराए जाने की कार्यवाही अपने स्तर से सम्पर्णू करायी जाएगी । रेडियो मुख्यालय द्वारा उस वर्ष मृतक आश्रित के रूप में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के पदों पर की जाने वाली भर्ती की संख्या नियमानुसार निर्धारित की जाएगी एवं इस प्रकार मृतक आश्रित के रूप में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के पद पर भरे जाने वाले पदों की संख्या एवं उपरोक्त तैयार की गयी सूची आवश्यक अभिलेखों के साथ पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त भर्ती की कार्यवाही हेतु भर्ती बोर्ड को प्रेषित की जाएगी ।

(ii) दक्षता मूल्यांकन परीक्षा

शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन

भर्ती बोर्ड, उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की, तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली में उल्लिखित प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) पद पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया एवं मानकों के अनुरूप, शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करायेगा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये

अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा । अगर उपरोक्त दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के पद पर भर्ती की जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के कम या बराबर होगी तो इन सभी अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए अन्तिम चयन सूची बनाई जाएगी । चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को भेजी जाएगी जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु रेडियो मुख्यालय को प्रेषित करेंगे ।

(iii) लिखित परीक्षा

अगर दक्षता मूल्यांकन में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के पद पर भर्ती किए जाने वाले पदों से अधिक हो तो भर्ती बोर्ड द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों की एक लिखित परीक्षा करायी जाएगी । लिखित परीक्षा कराए जाने की प्रकिया इस परिपत्र के प्रस्तर-1(1) में, मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु दी गयी प्रक्रिया में कराई जाने वाली लिखित परीक्षा के अनुसार होगी । उसी उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड द्वारा मृतक आश्रित भर्ती के प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के पदों की रिक्तियों के सापेक्ष अन्तिम चयन सूची बनाई जाएगी जिसे पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित किया जाएगा जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही हेतु रेडियो मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई यह सूची रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी ।

(2) कर्मशाला कर्मचारी एवं सहायक परिचालक

(i) सामान्य प्रकिया

पुलिस रेडियो विभाग के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित जो नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में कर्मशाला कर्मचारी एवं सहायक परिचालक के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन देते हैं उनके सेवायोजन के संबंध में वर्तमान में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष कार्यवाही रेडियो मुख्यालय द्वारा प्रारम्भ की जाएगी । इस सेवायोजन हेतु सामान्य प्रकिया उपरोक्त प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के पद में दी गयी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार होगी एवं सभी अभ्यर्थियों की सूची एवं अभिलेख पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराये जाएंगे ।

(ii) दक्षता मूल्यांकन परीक्षा

शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन

भर्ती बोर्ड, उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की, तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली में उल्लिखित उपरोक्त पदों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रकिया एवं मानकों के अनुरूप, शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करायेगा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की दोनों पदों के लिए अलग-अलग सूची तैयार करेगा जो इन सभी अभ्यर्थियों की उपरोक्त पदों के लिए अन्तिम चयन सूची होगी ।

बोर्ड इस चयन सूची को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित करेगा जो इसे नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु रेडियो मुख्यालय को भेजेंगे । चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा ।

4- ~~पुलिस~~ विभाग के आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवायोजन की प्रकिया

(i) सामान्य प्रकिया

मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सेवायोजन के संवन्ध में कार्यवाही संबंधित जनपद/इकाई, आरक्षी पीएसी के संबंध में संबंधित पीएसी वाहिनी, फायरमैन के संबंध में संबन्धित जनपद/फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा प्रारम्भ की जाएगी । आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सेवायोजन के संबंध में उनकी शैक्षिक अर्हता, शारीरिक मानक, शारीरिक दक्षता के मानक, अन्य अर्हताएं व योग्यताएं वही होंगी जो संबन्धित पद पर सीधी भर्ती हेतु तत्समय प्रचलित संबंधित सेवा नियमावली के प्रावधानों में होंगी किन्तु शारीरिक मानक की अर्हता में न्यूनतम लम्बाई में शासनादेश के अन्तर्गत 2 से0मी0 की छूट पूर्व की भांति लागू रहेगी । संबंधित जनपद अथवा इकाई द्वारा सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए 37 बिन्दुओं की चैक लिस्ट के अनुसार सेवायोजन कराए जाने हेतु कार्यवाही अपने स्तर से सम्पूर्ण करायी जाएगी । चैकलिस्ट के अनुसार अगर अभ्यर्थी मृतक आश्रित सेवायोजन हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो संबंधित अभिलेखों के साथ सम्पूर्ण सूचनाएं पुलिस मुख्यालय/पीएसी मुख्यालय/फायर सर्विस मुख्यालय को प्रेषित की जाएंगी । पुलिस विभाग की अजनपदीय शाखा जहां आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती नहीं की जाती है, जैसे- सीबीसीआईडी, अभिसूचना, रेलवे, सतर्कता इत्यादि तो इन अजनपदीय शाखाओं द्वारा आरक्षी के पद पर सेवायोजन का प्रस्ताव तैयार कर नियमानुसार पुलिस

मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा जहां से इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी । संबंधित मुख्यालय द्वारा सभी अभ्यर्थियों की सूची संकलित कर आवश्यक अभिलेखों के साथ पुलिस महानिदेशक के अनुमोदनोपरान्त भर्ती बोर्ड को भेजी जाएंगी जो इनकी दक्षता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करायेगा ।

(ii) दक्षता मूल्यांकन परीक्षा

शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन

भर्ती बोर्ड, उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों की, संबंधित पद हेतु तत्समय प्रचलित सेवा नियमावली में उल्लिखित सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया एवं मानकों के अनुरूप, शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करायेगा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की संबंधित पद हेतु अलगं-अलग सूची तैयार करेगा। यह सूची इन अभ्यर्थियों की उस पद हेतु घोषित की जाने वाले अन्तिम चयन सूची होगी।

बोर्ड सभी चयन सूचीयां प्रत्येक पद की अलग-अलग, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को भेजेगा जो इसे संबंधित मुख्यालय को नियुक्त हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित करेंगे । चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की भर्ती हेतु असफल घोषित किया जाएगा ।

5- पुलिस विभाग के चतुर्थ श्रेणी पदों पर मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की सेवायोजन की प्रकिया

मृतक आश्रित के चतुर्थ श्रेणी पद पर सेवायोजन के संबंध में उनकी शैक्षिक अर्हता, न्यूनतम आयु, अन्य अर्हताएं व योग्यताएं तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस समूह ''घ'' कर्मचारी सेवा नियमावली में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होंगी ।

जनपदीय पुलिस के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर मृतक आश्रित के सेवायोजन की कार्यवाही संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी । यदि जनपद में रिक्तियां उपलब्ध न हों तो आश्रितों के सेवा योजन का प्रस्ताव संबंधित जोनल पुलिस महानिरीक्षक को भेजा जाएगा जो उसका समायोजन जोन के किसी अन्य जनपद में वर्तमान रिक्तियों के सापेक्ष कराएंगे । इसी प्रकार पुलिस विभाग की विभिन्न इकाईयों जैसे-पीएसी/सीबीसीआईडी, रेडियो मुख्यालय, अभिसूचना मुख्यालय, रेलवे इत्यादि द्वारा चतुर्थ श्रेणी पदों पर मृतक आश्रितों के सेवायोजन की कार्यवाही उनके स्तर से ही की

जाएगी । यदि किसी कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियां उपलब्ध न हों तो इसका प्रस्ताव इकाई के मुख्यालय को भेजा जाएगा जो अपने स्तर से समायोजन का प्रयास करेंगे।

किन्तु अगर जोन स्तर पर या इकाई मुख्यालय स्तर पर रिक्तियों के सापेक्ष रिक्ति उपलब्ध न हों एवं भर्ती किया जाना सम्भव न हो तो उसका प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा जाएगा जहां पर इसे रिक्तियों का आंकलन कर किसी जनपद या इकाई में भर्ती हेतु भेजा जाएगा । रिक्तियों की गणना करते समय आगामी सम्भावित रिक्तियों को नहीं जोड़ा जाएगा बल्कि संबंधित कार्यालय में वर्तमान में रिक्तयों के सापेक्ष सेवायोजन की कार्यवाही की जाएगी ।

6- सामान्य निर्देश

(1) प्रायः यह देखा जा रहा है कि इकाइयों में मृत कर्मियों के आश्रित इकाई में उपलब्ध पद की रिक्ति के समक्ष सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र न देकर अपनी स्वेच्छानुसार इच्छित पद पर सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र देते हैं। सेवा हेतु उपयुक्त पद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रिक्तियों के दृष्टिगत और सम्बन्धित इकाई में ही ऐसा सेवायोजन यथासम्भव नियमानुसार किया जाना चाहिए। मृतक आश्रित को अधिकार नहीं है कि किसी पद विशेष पर नियुक्ति के लिये दावा कर सके। यदि मृतक आश्रित पद विशेष पर नियुक्ति का अनुरोध या दावा करता भी है तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे अनुरोध/दावे को मानने के लिये बाध्य नहीं है। उसे नियमावली में प्राविधानों के विहित शर्तो को पूरा करने पर उपयुक्त पद पर सेवायोजन प्रदान करने का निर्णय ले लेना चाहिये। यदि आश्रित द्वारा नियुक्ति का आफर नहीं स्वीकार किया जाता है तो नियमों में आगे कोई बाध्यता नहीं रह जाती है।

अतः पी०ए०सी के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को नियमतः पी०ए०सी० में विद्यमान पद प्लाटून कमाण्डर/आरक्षी के पद पर, फायर सर्विस में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को फायर सर्विस विभाग के फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर/फायरमैन के पद पर तथा रेडियो विभाग के मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को नियमतः प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक), कर्मशाला कर्मचारी एवं सहायक परिचालक के पद पर नियमानुसार सेवायोजन कराया जाए एवं शेष कर्मियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश पुलिस के उपनिरीक्षक/आरक्षी पुलिस के पद पर मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन की कार्यवाही नियमानुसार करायी जाए, किन्तु अगर प्रकरण महिला अभ्यर्थी का है, तो चूंकि पीएसी में महिला प्लाटून कमाण्डर/आरक्षी तथा फायर सर्विस में महिला फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर/फायरमैन के पद नहीं है अतः ऐसी स्थिति में मृत कर्मी की महिला आश्रित को उपनिरीक्षक/आरक्षी पुलिस के पद पर सेवायोजन दिये जाने हेतु उसका प्रस्ताव सम्बन्धित मुख्यालय द्वारा समस्त कार्यवाही पूर्ण कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को मृत पुलिस कर्मी के आश्रित के रूप में किसी भी पद पर भर्ती हेतु केवल एक अवसर प्रदान किया जायेगा । अगर वह इस अवसर में सेवायोजन पाने में असफल रहता है तो उसे उस पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती हेतु अयोग्य माना जायेगा एवं इसके उपरान्त उसे केवल इस पद से निम्न श्रेणी के पदों पर मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा । संबंधित कार्यालय द्वारा इस संबंध में पत्र, उस पद की प्रकिया की समाप्ति, जिसमें वह असफल घोषित हुआ है, के 02 माह के अन्दर अवश्य भेजा जाएगा । अगर वह कोई आवेदन नहीं देता है तो प्रथम पत्र के 2 माह के बाद एक दूसरा पत्र भी उसे संबंधित कार्यालय द्वारा भेजा जाएगा । यदि वह दूसरे पत्र के 03 माह के अन्दर किसी निम्न पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि वह पुलिस विभाग में किसी पद पर सेवयोजन पाने का इच्छुक नहीं है ।

(3) भर्ती बोर्ड चाहे तो मृतक आश्रित भर्ती के विभिन्न पदों की भर्ती हेतु, जिसमें लिखित परीक्षा कराई जानी हो, तो वह विभिन्न पदों के लिए एक साथ एक ही अथवा अलग-अलग लिखित परीक्षा करवा सकता है । अगर एक से अधिक पदों के लिए एक साथ एक ही लिखित परीक्षा कराई जाती है तो अलग-अलग पदों की अंको के आधार पर श्रेष्ठतता सूची अलग-अलग बनाई जाएगी ।

(4) मृतक आश्रित भर्ती के ऐसे समस्त प्रकरण जिनके सम्बन्ध में भर्ती बोर्ड से कार्यवाही करायी जानी है, उनके समस्त अभिलेख सम्बन्धित मुख्यालय पर पदवार संकलित कर रखे जायेंगे एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी अभिलेख नियमानुसार पूर्ण है । इन प्रकरणों को अलग-अलग पुलिस मुख्यालय अथवा भर्ती बोर्ड नही भेजा जायेगा, बल्कि सम्बन्धित मुख्यालय पर संकलित कर रखा जायेगा एवं मृतक़ आश्रित के रूप में किसी भी पद की भर्ती हेतु उस पद के सभी प्रकरणों की संकलित सूचना पुलिस मुख्यालय द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी ताकि समकक्ष पदों की भर्ती के समस्त प्रकरण सभी मुख्यालयों से एक साथ भर्ती बोर्ड को प्रेषित किये जा सकें।

7- मृतक आश्रित सेवायोजन हेतु प्रस्ताव तैयार करना तथा अभिलेखीकरण व सत्यापन

(1) मृतक आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जनपद/इकाई के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर पुलिस प्रभारी अपने हस्ताक्षर व नाम/पदनाम की मुहर लगाकर दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे। मृतक आश्रित का प्रार्थना पत्र किसी भी

हालत में कार्यालय के किसी सहायक अथवा प्रधान लिपिक द्वारा नहीं लिया जायेगा। आश्रित द्वारा दिये जाने वाले प्रार्थना पत्रों के प्रारूप संलग्न हैं।

(2) पुलिस मुख्यालय द्वारा लिपिक संवर्ग की पद विषयक दक्षता मूल्यांकन की कार्यवाही कराने के उपरान्त सफल मृतक आश्रितों के सेवायोजन की कार्यवाही पूर्व में की जा रही थी। विगत में पुलिस विभाग में लिपिक संवर्ग में नियतन के सापेक्ष अधिक कर्मी नियुक्त हो जाने के कारण मान्नीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्या:2046/छ:-पु0-1-06-650(59)02,दिनांक:08.05.2006 द्वारा पुलिस विभाग में लिपिक के पद पर भर्ती की कार्यवाही पर रोक लगा दी गयी है, जो वर्तमान में लागू है।

(3) मृतक आश्रितों के सेवायोजन के संबंध में मृतक आश्रित द्वारा मॉगे गये पद हेतु नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा विस्तृत नोट शीट पत्रावली पर तैयार की जायेगी जिस पर संबंधित लिपिक, प्रधान लिपिक सहित सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी हस्ताक्षर बनायेंगे। नोटशीट का प्रारूप संलग्न है।

(4) मृतक आश्रित द्वारा दिये गये समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय से कराया जायेगा तथा हाई स्कूल से कम शिक्षित होने पर उसके शैक्षिक प्रमाण-पत्र का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी से कराया जायेगा। आरक्षित वर्ग के आश्रितों के जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र का सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारियों के माध्यम से कराया जायेगा। सभी सत्यापन आख्यायें प्रस्ताव के साथ मूलरूप में संलग्न की जायेंगी जिस पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी तथा इसकी द्वितीय प्रति सम्बन्धित जनपद/इकाई की पत्रावली पर रखा जायेगा जो स्थायी अभिलेख होगा।

(5) पुलिस विभाग में सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को सेवायोजन का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में मृत कर्मचारी के मूल निवास एवं अस्थायी निवास (यदि कोई हो) के पते पर राजपत्रित अधिकारी से जॉच कराई जायेगी। जॉच आख्या प्रस्ताव के साथ मूलरूप में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वयं प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर प्रेषित की जायेगी।

(6) मृत पुलिस कर्मी को सेवायोजन दिये जाने के सम्बन्ध में राजपत्रित अधिकारी द्वारा इस कार्यालय के पंत्र सं:18/ए-मृ0आ0सेवा0(निर्देश)-2014 दिनांक 24-09-2015 के अनुसार

कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदक मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन पाने का हकदार है अथवा नहीं ।

(7) पुलिस विभाग में सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन हेतु तैयार किये गये प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं उसके साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर व पदनाम की मुहर के साथ अंकित किया जायेगा।

(8) मृतक आश्रित के सेवायोजन का प्रस्ताव इकाई के क्षेत्राधिकारी कार्यालय/ पुलिस उपाधीक्षक अथवा इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी (जो किसी भी परिस्थिति में निरीक्षक स्तर से कम का नहीं होगा), ही लेकर सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय में जाकर दाखिल करायेंगे। इस आशय का प्राधिकार पत्र भी ले जायेंगे कि उन्हें सेवायोजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया जाता है। प्राधिकार पत्र में भेजे जाने वाले प्रस्तावों का उल्लेख होगा तथा नामित अधिकारी का हस्ताक्षर, सम्बन्धित इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होगा। इस हेतु अपने साथ अपने नाम व पदनाम की मुहर अवश्य ले जायेंगे। अन्यथा प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेंगे। प्रस्ताव लाने वाले अधिकारी प्रस्ताव का सत्यापन प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में देंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।

(9) प्रस्ताव के साथ कार्यालय के सम्बन्धित सहायक मृतक आश्रित के सेवायोजन की मूल पत्रावली सहित अनिवार्य रूप से क्षेत्राधिकारी कार्यालय/पुलिस उपाधीक्षक अथवा जनपद/इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी के साथ पुलिस मुख्यालय/नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्ताव उपलब्ध करायेंगे।

(10) मृतक आश्रित का जो प्रस्ताव सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा, उसकी एक अतिरिक्त प्रति स्व0 कर्मी से सम्बन्धित प्रस्तावक कार्यालय में स्थायी रूप से रखी जायेगी, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जायेगा। यह स्थायी अभिलेख होगा।

(11) मृतक आश्रितों के सेवायोजन के प्रकरण में जो भी पत्राचार जनपद/इकाई से किया जायेगा उस पत्र पर कार्यालय प्रमुख का नाम व पदनाम अंकित होगा अन्यथा पुलिस मुख्यालय/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

(12) जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा अजनपदीय इकाईयों के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा जनपद/इकाई के निरीक्षण के समय मृतक आश्रितों के सेवायोजन से सम्बन्धित वरीयता रजिस्टर एवं स्थायी रजिस्टर तथा सेवायोजन से सम्बन्धित अभिलेखों को भी गम्भीरता से चेक किया जायेगा।

(13) मृतक आश्रितों के प्रार्थना पत्र के विवरण की प्रविष्टि एक मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर बनाकर की जायेगी जिसमें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि पुलिस उपाधीक्षक, कार्यालय द्वारा अंकित की जायेगी तथा हस्ताक्षर/नाम व पदनाम की मुहर अंकित की जायेगी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि वही मानी जायेगी जिस दिनांक को सम्बन्धित जनपद/इकाई के प्रभारी द्वारा मृतक आश्रित के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर के दिन अंकित किया गया है। रजिस्टर में मृतक आश्रितों का विवरण अंकित करते समय कमांक के कालम में कोई गैप न रहे। अधिकारी इसे समय-समय पर चेक करते रहेंगे। रजिस्टर का प्रारूप निम्नवत् होगा:-

मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर का प्रारूप

क0सं0	आश्रित का नाम	मृतक कर्मी का नाम	मृतक कर्मी का पद	प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर का दिनांक
1	2	3	4	5	6

(14) मृतक आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अंकित किये जाने हेतु एक मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर का भी रख-रखाव कार्यालय द्वारा किया जायेगा जिसका प्रारूप निम्नवत् होगा:-

मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर का प्रारूप

क0 सं0	स्व0 पुलिसकर्मी का पी0एन0ओ0 नम्बर	स्व0 पुलिसकर्मी का नाम व पद	मृतक आश्रित का नाम	मृत्यु का दिनांक	सेवायोजन हेतु प्रथम प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	आवेदित पद	पता:- स्थायी/ अस्थायी/ दूरभाष नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8

8- मृत्यु के 05 वर्ष के अन्दर की प्रक्रिया

स्व0 कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर प्राप्त प्रथम प्रार्थना पत्र पर की जाने वाली कार्यवाही:-

प्रार्थना पत्र 05 वर्ष के अन्दर प्राप्त होते ही आश्रित जिस पद के लिये अर्हता रखता है और वहाँ रिक्ति उपलब्ध है तो उसे अतिशीघ्र (15 दिन के अन्दर) मृतक के स्थायी पते एवं मृतक आश्रित द्वारा प्रार्थना पत्र में दिये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक से उस पद के लिये औपचारिक आफर देकर सभी वाँछित प्रपत्र प्रदान किये जाने के आशय का पत्र भेजा जाये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उक्त आश्रित को सेवायोजन हेतु विभाग द्वारा अवसर (ऑफर) दिया गया है। प्रकरण अनावश्यक लम्बित न रखें अन्यथा विभाग द्वारा आफर नहीं दिये जाने पर अभ्यर्थी अपनी नई शिक्षा प्राप्त कर नये पद पर दावा करने लगते हैं और अनावश्यक विवाद पैदा होते हैं। प्रत्येक दशा में प्राप्त प्रस्ताव एक माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाय। अन्यथा सम्बन्धित लिपिक के विरुद्ध प्रतिकूल मन्तव्य बनाते हुए विभागीय कार्यवाही की जायेगी। यदि किन्हीं अन्य कारणों से विलम्ब हो रहा है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट कारण अंकित किया जायेगा।

जनपद/इकाई प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आश्रित से आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् स्व0 कर्मी के कुटुम्ब के सदस्य उनकी आयु, कर्मी पर निर्भरता तथा वैवाहिक स्थिति के आधार पर सदस्यों के किसी अन्य श्रोत से आय के साथ कुटुम्ब के सदस्यों की अचल सम्पत्ति एवं उससे होने वाली आय को ध्यान में रखते हुये इस विषय में स्पष्ट अभिमत अंकित करते हुये सेवायोजन के सम्बन्ध में निर्णय लेने पर विचार किया जाये। यदि सेवायोजन जनपद/इकाई स्तर से दिया जाना है तो अधिकतम 6 माह में सेवायोजन प्रदान कर दिया जाय। अन्य दशा में एक माह के अन्दर प्रस्ताव तैयार कराकर सम्बन्धित को प्रेषित किया जाय ताकि 6 माह में आश्रित के सवायोजन की कार्यवाही मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की जा सके।

सेवायोजन हेतु मृतक आश्रित के सेवायोजन के पूर्व इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि मृतक आश्रित द्वारा मृत कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर प्रार्थना-पत्र दिया गया है तथा माँगे गये पद हेतु सभी प्रकार से अर्ह है एवं उस पद हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु एवं शैक्षिक अर्हता मृत कर्मी की मृत्यु के 05 वर्ष के अन्दर पूर्ण किया हो। यदि मृतक आश्रित द्वारा माँगे गये पद हेतु सम्पूर्ण अर्हतायें मृत कर्मी की मृत्यु के 05 वर्ष के अन्दर पूर्ण करता है तथा उस पद पर रिक्ति है, तो उसके सेवायोजन की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

यदि किसी मामले में एक से अधिक आश्रित सेवायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते है तो उस कार्यालय का प्रधान (Head of office) उपयुक्त मृतक आश्रित का चयन करके ही प्रस्ताव तैयार कर अग्रेत्तर कार्यवाही करेंगे।

171

स्व0 कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर प्राप्त प्रथम प्रार्थना पत्र पर प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही का विवरण

पुलिस विभाग के मृत कर्मी की मृत्यु के उपरान्त परिवार के आश्रितों में से एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु जनपद/इकाई के प्रभारी 37 बिन्दुओं का प्रस्ताव तैयार करायेंगे। चेकलिस्ट/प्रस्ताव का प्रारूप निम्नवत् है:-

1	मृत सरकारी सेवक नाम	--------------
2	मृत सरकारी सेवक का पदनाम	--------------
3	मृत सरकारी सेवक का मृत्यु पूर्व नियुक्ति स्थान/कार्यालय का नाम	--------------
4	मृत सरकारी सेवक की जन्मतिथि (सेवा अभिलेख के अनुसार प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)	---------------- परिशिष्ट-------
5	मृत सरकारी सेवक की भर्ती तिथि	--------------
6	मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति का प्रकार (तदर्थ/नियमित/स्थाई/अस्थाई/आकस्मिक)	--------------
7	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु तिथि (मृत्यु का प्रमाण-पत्र के अनुसार, कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न किया जाय)	--------------
8	मृत सरकारी सेवक की मृत्यु की परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण	--------------
9	मृत सरकारी सेवक, मृत्यु के समय डियुटी पर था अथवा अवकाश पर	--------------
10	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यों का नाम आयु (हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार)तथा आय व वैवाहिक स्थिति	नाम--------------आयु नाम--------------आयु नाम------------ आयु
11	मृत सरकारी सेवक की एक से अधिक पत्नियाँ हों तो पत्नियों के नाम आयु (हाईस्कूल की सनद अथवा जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार)	नाम--------------आयु नाम--------------आयु

12	मृत सरकारी सेवक के पत्नी के द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र वह किसे सेवायोजन दिलाना चाहती है, का विवरण एवं परिवार के समस्त सदस्यों वयस्क/अवयस्क दोनो का विवरण (नाम/आयु/शिक्षा/व्यवसाय) अंकित होगा सम्मिलित हो, से सम्बन्धित शपथ-पत्र (प्रारूप-क)	परिशिष्ट---------
13	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के सदस्यों के वार्षिक आय का विवरण	परिशिष्ट--------- परिशिष्ट---------
14	इस आशय का प्रमाण-पत्र की स्थायी अभिलेख एवं पेंशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची से सेवायोजन के प्रस्ताव के लिये प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की समीक्षा कर ली गयी कोई अन्तर नही पाया गया है। पेंशन पत्रावली पर प्रस्तुत कुटुम्ब की सूची की प्रमाणित प्रति (पेंशन प्रपत्र भाग दो संलग्न किया जाय)	सदस्यों के नाम की सूची परिशिष्ट-- पेंशन भाग दो की प्रमाणित सूची परिशिष्ट--
15	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के वयस्क सदस्यों का शपथ-पत्र/सहमति जिन्हे सेवायोजन दिलाना चाहते हों, के पक्ष में (प्रारूप-ख)	परिशिष्ट--------- परिशिष्ट--------- परिशिष्ट--------- परिशिष्ट---------
16	मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पक्ष में निर्गत किये गये पी0पी0ओ0/जी0पी0 ओ0 की संख्या व दिनांक (प्रमाण हेतु प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	--------- --------- परिशिष्ट---------
17	मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एक से अधिक सदस्यो द्वारा सेवायोजन की मॉग की जा रही है तो उनमें से जिस आश्रित को नामित किया जा रहा है उससे नामित किये जाने के कारण सहित विस्तृत विवरण अंकित करें।	--------- --------- --------- ---------
18	इससे पूर्व कुटुम्ब के किसी आश्रित सदस्य की नियुक्ति की सुविधा प्राप्त हुई हो तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट किया जाय किस सम्बन्धित को किस पद पर नियुक्ति दी गयी है तथा इस सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख करें।	---------

19	इस आशय का प्रमाण-पत्र कि मृत सरकारी सेवक के किसी भी आश्रित को सेवायोजन का लाभ प्रदान नहीं किया गया है, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र (प्रारूप-घ)	---------- परिशिष्ट----------
20	मृत सरकारी सेवक के घर के पते पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी से कराई गयी जॉच आख्या की मूल प्रति जिसमे मृतक के कुटुम्ब के किसी भी सदस्य को पूर्व में सेवायोजन का लाभ तो प्रदान नही किया गया है तथा अवयस्क/वयस्क सदस्यों की वैवाहिक स्थिति तथा आय का श्रोत और यदि किसी सेवा में है तो उसका विवरण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र	परिशिष्ट---------- अनुलग्नक- अनुलग्नक- अनुलग्नक-
21	मृतक आश्रित का नाम	----------
22	मृतक आश्रित की जन्मतिथि हाईस्कूल के सनद् अथवा जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार अंको तथा शब्दो में।	---------- ----------
23	मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता	----------
24	मृत सरकारी सेवक के आश्रित का शपथ-पत्र जिन्हे सेवायोजन हेतु नामित किया गया है (प्रारूप-ग)	परिशिष्ट----------
25	मृतक आश्रित का प्रार्थना-पत्र जिसमें शैक्षिक योग्यता आयु, अपेक्षित पद का उल्लेख तथा जाति विषयक प्रमाण-पत्र (यदि आरक्षित वर्ग से है तो दिनांक सहित)	प्रार्थनापत्र परिशिष्ट----- परिशिष्ट----- परिशिष्ट----- -------- परिशिष्ट-----
26	शैक्षिक प्रमाण-पत्रों/अंक तालिकाओं का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्व विद्यालय से एवं हाईस्कूल से कम शिक्षित होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक से सत्यापन कराकर सत्यापन आख्या	मा0शि0बोर्ड- परिशिष्ट----- विश्वविद्यालय परिशिष्ट----- जि0वि0नि0 परिशिष्ट-----
27	मृतक आश्रित अभ्यर्थी की सम्बन्धित पद विषयक प्रचलित नियमावली के अनुसार यदि कोई अधिमानी अर्हता हो तो उसका उल्लेख किया जाय ।	1---------- 2---------- 3----------
28	मृतक आश्रित का चरित्र सत्यापन स्थाई व अस्थाई पते पर तथा अभिसूचना मुख्यालय द्वारा कराया गया चरित्र सत्यापन आख्या मूलरूप में संलग्न की जायेगी।	स्थाई पते पर परिशिष्ट--- अस्थाई पते पर परिशिष्ट-- अभि0मुख्यालय परिशिष्ट---

29	मृतक आश्रित के पक्ष दो राजपत्रित अधिकारियो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो छः माह से पुराना न हो	1-राजपत्रित अधिकारी का नाम---- परिशिष्ट----- 2-राजपत्रित अधिकारी का नाम---- परिशिष्ट-----
30	मृतक आश्रित की वैवाहिक स्थिति यदि विवाहित है तो जीवित पत्नी का नाम/आयु व शैक्षिक योग्यता	नाम----------आयु
31	मृतक आश्रित से निम्न स्थिति में तत्सम्बन्धी विवरण सहित इस आशय घोषणा पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जाय कि:- 1-यदि वर्तमान समय में मृतक आश्रित कही सेवारत है ? 2-यदि पूर्व में सेवारत रहा हो ? 3-यदि सेवा त्यागपत्र दे दिया तो ? 4-यदि सेवा से पृथक कर दिया गया हो तो ?	---------- परिशिष्ट-----
32	यदि मृतक आश्रित आरक्षित वर्ग का है तो जाति प्रमाण-पत्र पत्र (जो जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा)	1-प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले राजपत्रित अधिकारी नाम---------- परिशिष्ट-----
33	मृतक आश्रित का नवीनतम फोटोग्राफ जो छः माह से पुराना न हो चस्पा कर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाय	प्रमाणित फोटोग्राफ
34	मृतक आश्रित का शारीरिक नाप जोख छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें (अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक/प्रतिसार निरीक्षक की समिति द्वारा जांचा गया हो एवं संयुक्त रूप से प्रतिहस्ताक्षरित हो)	ऊँचाई | सीना फुलाने पर | सीना बिना फुलाये | | |
35	मृतक आश्रित का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जो छःमाह से पुराना न हो फोटोग्राफ चस्पा कर प्रमाणित करें, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत नियम-10 के अन्तर्गत प्रदत्त किया गया प्रमाण-पत्र (Certificate of fitness for Government service See Rules-10 of fundamental Rules)	----------

169 149 (3) 151
145 132

36	इस आशय का प्रमाण-पत्र की पुलिस कार्यालय द्वारा मृतक आश्रित के सेवायोजन का विवरण स्थाई रूप से रखे गये "मृतक आश्रित सेवायोजन रजिस्टर" में अंकित कर दिया गया है से सम्बन्धित प्रमाण पत्र (प्रारूप-च)	स्थाई रजिस्टर का पृष्ठ संख्या--- कम संख्या--- प्रमाण-पत्र परिशिष्ट------
37	इस आशय का प्रमाण-पत्र की उपरोक्त कम सं0 01 से लेकर कम संख्सा-35 तक अंकित सभी प्रविष्टियो को मेरे द्वारा भॅली भॉति जॉच कर लिया गया है जो सूचनायें अंकित है वे सही है एवं आवेदक द्वारा मॉगे जा रहे पद पर सेवायोजन की संस्तुति की जाती है। (अपेक्षित पद नाम का उल्लेख कार्यालयाध्यक्ष द्वारा करते हुये संस्तुति की जायेगी)	---------------------

कार्यालय प्रमुख का नाम
पद नाम
जनपद/इकाई का नाम

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा मृतक आश्रित से सम्बन्धित सूचना मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर एवं मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर में अंकन कराया जायेगा। मास्टर इण्डेक्स रजिस्टर में मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर एवं मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर खोले जाने का अंकन होगा। मृतक आश्रित वरीयता रजिस्टर एवं मृतक आश्रित स्थायी रजिस्टर में प्रत्येक मृतक आश्रित की पत्रावली खोले जाने का अंकन होगा।

9- मृत्यु के 05 वर्ष के उपरान्त की प्रक्रिया

स्व0 कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के उपरान्त प्राप्त प्रथम प्रार्थना पत्र पर की जाने वाली कार्यवाही

स्व0 कर्मी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर स्व0 कर्मी की मृत्यु के दिनांक से 05 वर्ष के पश्चात् विलम्ब से दिये गये आवेदन पत्र में विलम्ब का औचित्य पूर्ण कारण सहित प्रमाण पत्र आश्रित द्वारा दिये जाने पर शासन के पत्र संख्या:1230/6-पु0-10-2014-1200 (78)/2015, दिनांक:01.07.2015 एवं पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या:18/ए-6रिट(मेरठ)/2015, दिनांक:23.07.2015 के अनुसार मृतक कर्मी के आश्रितों को मृतक

आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु अनुमन्य 05 वर्ष की निर्धारित समय-सीमा में छूट/शिथिलीकरण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ऐसे प्रकरण जो 05 वर्ष की निर्धारित समय-सीमा के उपरान्त के हों, का गम्भीरता से परीक्षण करते हुए विलम्ब से दिये गये आवेदन के औचित्यपूर्ण कारणों एवं मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति दर्शाते हुए पूर्ण प्रस्ताव 23 बिन्दुओं में वाँछित सूचनाओं सहित 05 वर्ष की समय-सीमा में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में शासन के विचारार्थ भेजे जाने हेतु पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। समय सीमा में छूट हेतु 23 बिन्दुओं की चेकलिस्ट/प्रस्ताव का प्रारूप निम्नवत् है:-

1	मृतक कर्मचारी का नाम	---------- ----------
2	मृतक कर्मचारी का पद	---------- ----------
3	मृत्यु के समय तैनाती का विवरण	---------- ----------
4	मृत्यु के समय कर्मचारी की आयु	वर्ष-----माह-----दिन------
5	मृत्यु का कारण, पूर्ण विवरण एवं संस्तुति सहित/मृतक कर्मचारी अवकाश पर था अथवा ड्यूटी पर? मृत्यु प्रमाण-पत्र सहित	---------- ----------
6	क्या मृत्यु कर्तव्यपालन के दौरान अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई?	---------- ----------
7	क्या मृत्यु के समय कर्मचारी की पत्नी/पति किसी सेवायोजन में थे ? यदि हॉ तो उसका विवरण	---------- ----------
8	कर्मचारी के आश्रितों का नाम/सम्बन्ध	---------- ----------
9	परिवार के अन्य आय के श्रोत/व्यवसाय/ उपलब्ध भूमि का विवरण	---------- ----------
10	कर्मचारी के आश्रितों को प्राप्त होने वाली पेंशन का विवरण (साधारण/असाधारण)	---------- ----------
11	समस्त श्रोतों से परिवार की मासिक आय का विवरण	---------- ----------
12	सेवायोजन हेतु आवेदक आश्रित का नाम व मृतक से सम्बन्ध	---------- ----------
13	सेवायोजन हेतु आवेदित पद का नाम	----------

14	यदि कर्मचारी की पत्नी/पति को सेवायोजित नही किया गया तो उसका विवरण	---------- ----------
15	कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष के अन्दर सेवायोजन हेतु आवेदन न प्रस्तुत करने का कारण, पूर्ण औचित्य सहित	---------- ----------
16	परिवार की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया जाय कि परिवार के निर्वाह हेतु अभी भी शासकीय अनुकम्पा की आवश्यकता है ?	---------- ----------
17	अब तक परिवार के निर्वाह की क्या व्यवस्था थी ?	---------- ----------
18	समय-सीमा में छूट हेतु विभागाध्यक्ष की स्पष्ट संस्तुति, पूर्ण औचित्य सहित	---------- ----------
19	मृतक आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु सब प्रकार से अर्ह होने के उपरान्त प्रथम बार ~~प्रार्थना~~ पत्र देने की तिथि	---------- ----------
20	स्व0 कर्मचारी की जन्मतिथि स्व0 कर्मचारी की भर्ती की तिथि स्व0 कर्मचारी की मृत्यु की तिथि (स्व0 कर्मचारी की चरित्र पंजिका के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न की जाय)	---------- ---------- ----------
21	सेवायोजन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों जैसे मृत्यु के समय से अब तक परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार का आकार प्रकार, परिवार की कृषि पर निर्भरता तथा मृतक आश्रित पर आने वाले दायित्वों एवं सभी श्रोतों से प्राप्त परिवार की आय (इन्कम) आदि का भी संज्ञान लेते हुए सेवायोजन के प्रत्यावेदन में विचार किया जाना चाहिए।	---------- ---------- ---------- ----------
22	यह भी देखा जाय कि मृतक आश्रित द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कारण क्या रहा है ? क्या यह औचित्यपूर्ण है?_____	---------- ----------

23	प्रकरण का परीक्षण करते हुए इस तथ्य का भी संज्ञान लिया जाय कि पारिवारिक दायित्वों के मद्देनजर कार्मिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या आवेदन पत्र प्राप्त करने के दिनांक तक तंग/कमजोर बनी हुई थी ?	---------- ----------

कार्यालय प्रमुख का नाम

पद नाम

जनपद/इकाई का नाम

10- मृतक आश्रितों को नियुक्ति आदेश दिये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व

पुलिस मुख्यालय द्वारा "बारकोड" युक्त अनुमोदन पत्र निर्गत किया जायेगा तथा अनुमोदन आदेश पर आश्रित का जनपद/इकाई से प्राप्त प्रमाणित फोटो चस्पा रहेगा। कार्यालयाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी "बारकोड" एवं फोटोयुक्त अनुमोदन आदेश मूलरूप से प्राप्त होने पर ही सेवायोजन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

मृतक आश्रित की नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा चरित्र सत्यापन इत्यादि कराने के पश्चात् पूरी तरह संतुष्ट होने के उपरान्त मृतक आश्रित से एक शपथ-पत्र जिसमें उसका फोटोग्राफ भी चस्पा होगा, दो प्रतियों में लेंगे, जिसमें स्व0 कर्मी का नाम, पदनाम, मृत्यु का दिनांक तथा उसके वास्तविक मृतक आश्रित होने एवं परिवार के अन्य किसी सदस्य द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन का लाभ न लिये जाने का उल्लेख होगा। उक्त शपथ-पत्र की एक प्रति आश्रित की सेवायोजन पत्रावली पर रखी जायेगी। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।

जनपदीय/अजनपदीय शाखाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी, जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में वे है, से नियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन लेंगे।

मृतक आश्रितों के पक्ष में जनपद/इकाई स्तर से निर्गत होने वाले नियुक्ति आदेश का आलेख सादे "फुलस्केप पेपर" पर निर्धारित प्रारूप में ही निर्गत किया जायेगा जिसका प्रारूप संलग्न है।

11- मृतक आश्रित को सेवायोजित करने के सम्बन्ध में दिये जा रहे दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह परिपत्र कार्यालय की गार्ड फाइल में स्थाई रूप से रखा जायेगा।

12- उपर्युक्त परिस्थितियों एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में आश्रित के सेवायोजन के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों को वहाँ तक अतिक्रमित समझा जाये, जहाँ तक इस परिपत्र से विरोधाभाषी हो।

13- उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

24/11/15

(जगमोहन यादव)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:विशेष सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-10, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सचूनार्थ प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
6. समस्त विशेष कार्याधिकारी, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
7. अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-20, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को पॉच प्रतियों में गजट कराने एवं गार्ड फाइल पर रखने हेतु ।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।
9. समस्त गोपनीय सहायक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

मृतक आश्रित द्वारा सेवायोजन हेतु दिये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप

(सेवायोजन हेतु नामित आश्रित द्वारा)

सेवा में,

पुलिस उप महानिरीक्षक,
.....परिक्षेत्र।

द्वारा:–

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक,
जनपद/इकाई.....
(यदि आश्रित उप निरीक्षक ना0पु0
अथवा एस0आई0(एम) आशुलिपिक के पद
हेतु आवेदन करता है तो)

अथवा

सेवा में,

वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/सेनानायक,
जनपद/इकाई.....
(यदि आश्रित कान्स0 ना0पु0 अथवा
चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु आवेदन करता है तो)

विषय: स्व0.....के आश्रित पुत्र/पुत्री/पत्नी/भाई/बहन.....
को .....के पद पर सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मेरे पति स्व0.....जो जनपद/इकाई.....में.....
के पद पर नियुक्त थे, की मृत्यु दिनांक:.....को.....(मृत्यु का कारण).....के कारण हो गयी है।

2. अतः महोदय से निवेदन है कि मेरे पुत्र/पुत्री.....,जिसकी शैक्षिक योग्यता.....है, एवं शारीरिक अर्हता ऊचॉई.....सें0मी0 सीने की माप बिना फुलाये.....सें0मी0, फुलाने पर.....सें0मी0 है, को उ0नि0ना0पु0, एस0आई0(एम)/आशुलिपिक, कान्स0, चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में उसके शैक्षिक प्रमाण–पत्र की छायाप्रतियॉ संलग्न की जा रही हैं। स्व0 कर्मी के कुटुम्ब के सदस्यों का ब्यौरा प्रमाण पत्रों के साथ निम्नवत् है:–

क0 सं0	कुटुम्ब के सदस्यों का नाम	मृतक से सम्बन्ध	जन्मतिथि के आधार पर आयु	वैवाहिक स्थिति	अचल सम्पत्ति का विवरण	सदस्य का व्यवसाय	कुटुम्ब के सदस्यों की मासिक आय (रूपये में)		
							कृषि से	पेंशन से	अन्य श्रोतों से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
कुटुम्ब की कुल मासिक आय विभिन्न श्रोतों से (रूपयों में)									
कुटुम्ब की कुल वार्षिक आय (रूपयों में) (मासिक आय का 12 गुना)									
कुटुम्ब की विभिन्न आयो का योग–कुल वार्षिक आय									

–:प्रार्थिनी:–
हस्ताक्षर/दिनांक
(नाम.....)
पत्नी स्व0.....
निवास का स्थायी तथा अस्थायी
पता.....